पीठासीन अधिकारी – श्री रामचन्द्र मीना
(आर.ए.एस.)

अहव

हुक्म – 87/2016 उनवान

में

श्री जगदीश पिता कल्याण ढोली निवासी हाथीपुरा, तहसील बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा
कैलाश पिता कल्याण ढोली निवासी हाथीपुरा, तहसील बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा
मंजु पिता कल्याण ढोली निवासी हाथीपुरा, तहसील बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा
रुकमा पिता कल्याण ढोली निवासी हाथीपुरा, तहसील बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा

.... प्रार्थीगण

बनाम

लादु पिता मांगु तेली निवासी हाथीपुरा, तहसील बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा
कल्याण पिता मांगु दरोगा निवासी हाथीपुरा, तहसील बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा
चांदु पत्नि लादु दरोगा निवासी हाथीपुरा, तहसील बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा
गणेश ति अणदा दरोगा निवासी हाथीपुरा, तहसील बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा
रत्ना पिता हिरापुरी निवासी हाथीपुरा, तहसील बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा
बाली पत्नि बद्री दरोगा निवासी हाथीपुरा, तहसील बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा
राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बनेडा, जिला भीलवाडा

.. विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128,129 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :::– श्री कृष्णकुमार जीनगर, वकील प्रार्थी

–:: आदेश ::–

दिनांक 12.11.2016

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि **प्रार्थी** ने एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 129 स्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस न्यायालय में दिनांक 04.10.2016 को प्रस्तुत कर निवेदन कि वाके ग्राम हाथीपुरा, पटवार मण्डल **कासोरिया** तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में **प्रार्थी** खातेदारी की खाता संख्या 26 के आराजी संख्या **400/176 कुल किता 01 कुल रकबा 05–16 बीघा** दर्ज रिकॅार्ड है के कोई पुख्ता सीमाचिह्न नहीं होने की वजह से विपक्षीगण पड़ौसियान से अकसर विवाद होता रहता है। ने विपक्षीगण को अपनी आराजियात बाबत् पत्थरगढ़ी कराने के लिए कहा किन्तु उनके द्वारा इन्कार कर जाने से यह प्रार्थनापत्र आप न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। अतः **प्रार्थी** की उपरोक्त आराजियात की रगढ़ी का आदेश प्रदान किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये समन तलब किया गया। इसी दौरान नापत्र इस न्यायालय राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प मुकाम बनेडा मे दिनांक 12.11.2016 को पंजीबद्ध किया विपक्षीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश प्रसारित किए गए। पक्ष को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन एवं मनन किया गया। **प्रार्थी** उक्त त्र की चरण सं. 1 में वर्णित आराजियात का खातेदार काश्तकार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की रगढ़ी कराने का अधिकारी है। अतः **प्रार्थी** का प्रार्थनापत्र लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुए कार योग्य है।

–:: आदेश::–

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरूद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम हाथीपुरा, पटवार मण्डल सोरिया तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में प्रार्थी खातेदारी की भूमि खाता संख्या 26 के आराजी संख्या **/176 कुल किता 01 कुल रकबा 05–16 बीघा** भूमि की पत्थरगढ़ी बसामलात पक्षकारान की जाने का श पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू–अभिलेख निरीक्षक बैंरा को 600/– रूपये न पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। भू–अभिलेख निरीक्षक रगढ़ी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ौसियान को उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित ना पत्र से समय एवं तिथि बाबत् सूचित करेंगे। मौके पर खड़ी फसल के दौरान पत्थरगढ़ी नहीं की जावे। कारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढी की जावें। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढ़ी किए ने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेड़ा को भिजवाई जावे। खर्चा कान अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प मुकाम मुख्यालय बनेडा 12.11.2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामचन्द्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा